



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एससी/एसटी एक्ट व अन्य विभिन्न धाराओं में 04 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के कारावास एवं ₹9,500- ₹9,500 अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- मु0अ0सं0-343/2001 धारा- 323/34,504,506,427,447 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सोहनलाल पुत्र परमलाल काछी 2.कल्लू उर्फ खूबचन्द्र पुत्र सोहनलाल काछी 3.मंगल पुत्र सोहनलाल काछी 4.किशोरा पुत्र सोहनलाल काछी निवासीगण ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03-03 वर्ष के कारावास एवं ₹9,500- ₹9,500 अर्थदंड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक
अभियोजक विजय
सिंह



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी
अवधेश बहादुर



पैरोकार
थाना - राठ
का0 सर्वज्ञ सिंह